न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 03/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/20

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
वरजु देवी पत्नी मोहनलाल, जाति–बिश्नोई, निवासी–अमरापुरी, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	सुजानाराम पुत्र मोबताराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 10.01.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गोरधनराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 04 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जयप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 03 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा अमरापूरी पटवार हल्का बिछावाड़ी तहसील सांचौर के खेत खाता संख्या 230 के खसरा नंबर 2219/406 रकबा 2.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2318/2219 रकबा 1.24 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.48 हैक्टेयर की खातेदारी आराजी व मौके पर कब्जा काश्त राजस्व रेकर्ड में पुनीदेवी पत्नी रामप्रकाश हिस्सा 613/1392 वरजुदेवी पत्नी मोहनलाल हिस्सा 83/696 सुगणीदेवी पत्नी नारायणजी हिस्सा 613/1392 कौम बिश्नोई के नाम दर्ज सुदा आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीया की वर्षो पुरानी रहवासीय ढ़ाणी बनी हुई है। उक्त आराजी का लगान माफिक हिस्से अनुसार प्रार्थीया अदा करती आ रही है जिसका वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रैस संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। वांके सरहद मौजा अमरापूरी पटवार हल्का बिछावाड़ी तहसील सांचौर के खेत खाता संख्या 230 के खसरा नंबर 2219/406 रकबा 2.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2318/2219 रकबा 1.24 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.48 हैक्टेयर आराजी में प्रार्थीया के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण संख्या 1 सुजानाराम व अप्रार्थीगण संख्या 2 रूगनाथराम एवं इनके परिवार के लोगों द्वारा एवं उनके साथ आये 10 अन्य लोगों ने एक साथ मिलकर एक नाजायज मजमा बनाकर आज से दो रोज पूर्व आये और मुझ प्रार्थीया के कब्जा काश्त सुदा खातेदारी के खेत व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत की माठ [illegible] चल रहे आम रास्ते पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने विधि विरूद्ध रूप से कब्जा कर [illegible] मुझ प्रार्थीया के कब्जा काश्तसुदा खातेदारी खेत की माठ को तोड़ कर विधि विरूद्ध [illegible] से प्रवेश कर के आये और मुझ प्रार्थीया के खेत में लगभग 30 से 40 फुट आराजी पर ज[illegible] लाठी व डण्डे के बल पर कब्जा कर पत्थरों की पक्की दीवार का निर्माण कार्य करने लगे तभी मुझ प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त सभी अप्रार्थीगण को रोक कर उनका विरोध किया। अतः प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों के सुरक्षार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

बहक प्रार्थीया बर खिलाफ अप्रार्थीगण मूल वाद के अंतिम निर्णय तक इस आशय की ज़ारी की जावें कि वांके सरहद मौजा अमरापूरी पटवार हल्का बिछावाड़ी के खेत खाता संख्या 230 के खसरा नंबर 2219/406 रकबा 2.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2318/2219 रकबा 1.24 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.48 हैक्टेयर की प्रार्थीया आराजी में किसी कदर प्रार्थीया के शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त में दखलंदाजी न तो स्वयं अप्रार्थीगण करे न ही अन्य किसी एजेन्ट, मजदूर या प्रतिनिधि से करावें तथा वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 किसी प्रकार से प्रार्थीया के खातेदारी खेत की माठ को तोड़कर जबरन प्रवेश न करें तथा न ही किसी अन्य से करावें व किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य अप्रार्थीगण स्वयं नहीं करावें तथा न ही अन्य किसी एजेन्ट, मजदूरी, ठेकेदार या प्रतिनिधि से करावें तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का आगे से आगे बैचान, रहन, दान, हकतर्क, वसीयत, विनिमय, गिरवी, बंधक या अन्य कोई रचनात्मक दस्तावेज पंजियन करावें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखने के लिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 4 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण संख्या 4 के जवाब प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई उजर एतराज नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3 ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा अमरापूरी पटवार हल्का बिछावाड़ी के खसरा नंबर 2219/406 रकबा 2.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2318/2219 रकबा 1.24 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.48 हैक्टेयर की आराजी का अप्रार्थीगण वादग्रस्त [illegible] मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:44 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
(सहायक कलेक्टर सांचौर)
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **25.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर जिला जालोर

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)